

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002652015

दांडिक प्रकरण क.-186 / 15

संस्थापित दिनांक-10.08.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-केदार उर्फ केतार सिंह पुत्र रामसिंह जाति यादव उम्र 25 वर्ष, निवासी शंकरपुर, चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपी</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. । आरोपीगण द्वारा :- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता ।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 04.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 294, 506बी के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324—दो शीर्ष के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मुन्नीबाई ने दिनांक 05.07.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसका बड़ा लडका केदार बलवंत यादव से गाली—गलौच कर झगडा कर रहा था, फिर उसके छोटे लडके वीरपाल ने केतार को समझाया कि उनसे झगडा क्यों कर रहे हो तो केतार ने वीरपाल के दांत से काट खा लिया और जब उसने बीच बचाव किया तो केतार ने उसे लोहे की छड़ मार दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 231/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323, 506बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324—दो शीर्ष, 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05.07.15 को समय सुबह करीब 10.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी मुन्नीबाई की लोहे की छड़ एवं आहत

वीरपाल को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मुन्नीबाई, अ.सा. 02 वीरपाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी केदार उसका लडका है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका लडका केदार उसके छोटे लडके वीरपाल से गाली गलौच कर रहा था और जब उसने मना किया तब आरोपी ने उसके साथ कहासुनी की थी और कुछ नहीं किया था जिसकी रिपोर्ट उसने प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी केदार ने लोहे की छड से उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 वीरपाल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी से कहासुनी हो गई थी और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने झगडे के समय उसे दांतों से काट लिया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी मुन्नीबाई की लोहे की छड से एवं वीरपाल को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324—दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)